

प्रेषक,

संदीप कौर,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग

लखनऊ दिनांक : ८ मार्च, 2019

विषय : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रोइरीगेशन) के अन्तर्गत निर्माता फर्मों के पंजीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-712/एम.आई.-45/टी०सी०/2018-19 दिनांक 28.02.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के ऑपरेशनल गॉइड लाइन-2017 के प्रस्तर-14 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष अन्तर्विभागीय कार्यकारी दल एवं मुख्य सचिव/अध्यक्ष राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति (एस.एल.एस.सी.) के प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 26.02.2019 के आलोक में निम्नलिखित 22 माइक्रोइरीगेशन निर्माता फर्मों का पंजीकरण आगामी 5 वर्षों तक की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	निर्माता फर्म का नाम	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित कम्पोनेन्ट
1	मे. सोलेट इन्जीनियरिंग, जयपुर, राजस्थान।	इन लाइन ड्रिप, पोर्टेबुल, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) सिप्रंकलर
2	मे. गंगा पाइप फैक्ट्री, अलवर, राजस्थान।	पोर्टेबुल, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) सिप्रंकलर
3	मे. मोहित पॉलीटेक प्रा.लि., राजस्थान।	ड्रिप, पोर्टेबल, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) सिप्रंकलर
4	मे. श्री जगजीत इण्डस्ट्रीज, भदोही, उ.प्र.	पोर्टेबुल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) सिप्रंकलर
5	मे. स्ट्रैबेरी पॉलीमर्स प्रा.लि., गुजरात।	इनलाइन ड्रिप, पोर्टेबुल, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम सिप्रंकलर
6	मे. बालसन पॉली प्लास्ट प्रा.लि., राजकोट, गुजरात।	ड्रिप, पोर्टेबल, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) सिप्रंकलर
7	मे. बालाजी इरीगेशन प्रा.लि., जयपुर, राजस्थान।	ड्रिप, पोर्टेबल, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) सिप्रंकलर
8	मे. देव पॉलीमर्स, जयपुर, राजस्थान	पोर्टेबुल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) सिप्रंकलर
9	मे. स्नेहलता इण्डस्ट्रीज, सीकर, राजस्थान।	पोर्टेबुल, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) सिप्रंकलर
10	मे. मीनेश इरीगेशन (इण्डिया) प्रा.लि., भोपाल, मध्य प्रदेश।	ड्रिप, पोर्टेबल, मिनी/ माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) सिप्रंकलर
11	मे. कोणार्क इरीगेशन प्रा.लि., अलीगढ़।	पोर्टेबुल, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) सिप्रंकलर
12	मे. समय इरीगेशन प्रा.लि., जयपुर, राजस्थान।	ड्रिप, पोर्टेबल, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) सिप्रंकलर
13	मे. श्री कृष्णा इण्डस्ट्रीज, जयपुर, राजस्थान।	पोर्टेबुल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) सिप्रंकलर

14	मे. श्री श्याम पाइप उद्योग, रेवाड़ी, हरियाणा।	पोर्टेबुल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
15	मे. सूरज पाइप उद्योग, अलवर, राजस्थान।	पोर्टेबुल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
16	मे. के.के. पाइप्स एण्ड प्रोडक्ट्स प्रा.लि., इन्दौर,।	ड्रिप, पोर्टेबल,मिनी/माइक्रो/सेमीपरमानेंट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन)
17	मे. हॉलैण्ड एग्रीटेक इण्डस्ट्रीज, भोपाल, म.प्र.	ड्रिप, पोर्टेबल,मिनी/माइक्रो/सेमीपरमानेंट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
18	मे. अग्रवाल इरीगेशन, उज्जैन, मध्यप्रदेश।	ड्रिप एवं मिनी/ माइक्रो/सेमी परमानेंट स्प्रिंकलर
19	मे. सीतल सन्स, अम्बाला कैण्ट, हरियाणा।	पोर्टेबुल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
20	मे. आर.सन्स इलेक्ट्रिकल्स प्रा.लि., जयपुर, राजस्थान।	ऑन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल,मिनी/माइक्रो/ सेमीपरमानेंट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
21	मे. मेघदूत पॉली पाइप्स, जयपुर, राजस्थान।	ड्रिप, पोर्टेबल,मिनी/ माइक्रो/सेमीपरमानेंट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
22	मे. सिगनेट इण्डस्ट्रीज लि., इन्दौर, मध्य प्रदेश।	ड्रिप, पोर्टेबल,मिनी/माइक्रो/सेमीपरमानेंट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर

3. उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत शासनादेश सं. 2907/58-2017-60/2006 दिनांक 04.10.2017 द्वारा 28 निर्माता फर्मों का 05 वर्ष के लिए किये गये पंजीकरण में से निम्नलिखित 2 निर्माता फर्मों को अतिरिक्त कम्पोनेंट इन लाइन ड्रिप एवं पोर्टेबुल स्प्रिंकलर सम्मिलित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है :-

क्र. सं.	पंजीकृत निर्माता फर्म का नाम	पूर्व में स्वीकृत कम्पोनेंट्स	सम्मिलित किये जाने वाले अतिरिक्त कम्पोनेंट
1.	मे. भगवती प्लास्टिक एण्ड पाइप इण्डस्ट्रीज, जयपुर, राजस्थान	ऑन लाइन ड्रिप, पोर्टेबुल, मिनी, माइक्रो, सेमी परमानेंट, लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर।	इन लाइन ड्रिप
2.	मे. रिवुलिस इरीगेशन इण्डिया प्रा.लि., बड़ोदरा, गुजरात	ऑन लाइन/इन लाइन ड्रिप, मिनी, माइक्रो, सेमी परमानेंट स्प्रिंकलर।	पोर्टेबुल स्प्रिंकलर

4. प्रस्तर-2 एवं 3 में उल्लिखित फर्मों का पंजीकरण एवं अतिरिक्त कम्पोनेंट 05 वर्षों के लिए सम्मिलित करने की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माता फर्म मैनुफैक्चरर्स हो, ट्रेडर्स नहीं।

5. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा जारी माइक्रोइरीगेशन दिशा-निर्देश में उल्लिखित सभी पहलुओं को निर्माता फर्म सुनिश्चित करती है। उक्त फर्मों से वांछित सभी औपचारिकतायें पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी का होगा।

6. उक्त फर्मों द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये। इन फर्मों द्वारा सम्पादित कार्य एवं गुणवत्ता संतोषजनक न पाये जाने पर पंजीकरण किसी भी समय समाप्त कर दिया जायेगा।

7. उक्त फर्मों का पंजीकरण भारत सरकार द्वारा संचालित माइक्रोइरीगेशन योजना के नियमों/दिशा-निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

8. यदि फर्मों के चयन में कोई प्रतिकूल तथ्य आते हैं तो उसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तरदायी होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(संदीप कौर)
विशेष सचिव

संख्या- 6 /2019-528 (1)/58-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4- कृषि अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश

उद्यान भवन, 2-सपू मार्ग, लखनऊ - 226001

■ 0522- 4072539,4044414 Fax: 0522-2621382, E-mail : nmmiup@gmail.com

पत्रांक : 722 /MI-14D/PMKSY/2018-19

दिनांक : ० अगस्त, 2019

प्रतिलिपि : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रोइरीगेशन) के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माता फर्मों से सम्बन्धित उपरोक्त शासनादेश सं. 6/2019-528/58-2019-60/2006 दिनांक 08.03.2019 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त सचिव (आर.एफ.एस.) भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. कार्यकारी निदेशक, एन.सी.पी.ए.एच., 10वीं मंजिल इण्टरनेशनल ट्रेड टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, गन्ना एवं चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जनपद स्तरीय क्रियान्वयन समिति (डी.एल.आई.सी.), पी.एम.के.एस.वाई. उत्तर प्रदेश।
8. विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश शासन।
9. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
10. आयुक्त, गन्ना एवं चीनी उद्योग, 17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. अपर कृषि निदेशक (सामान्य)/अपर नोडल अधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
13. प्रधान वैज्ञानिक, पी.एफ.डी.सी., केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ।
14. संयुक्त निदेशक/मुख्य उद्यान विशेषज्ञ/सिट्रस विशेषज्ञ, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती/सहारनपुर/मलिहाबाद (लखनऊ)/खुशरूबाग (इलाहाबाद) एवं बरूआसागर (झाँसी)।
15. सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर) कृषि भवन, लखनऊ।
16. समस्त उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ।
17. समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश
18. सम्बन्धित पंजीकृत निर्माता फर्मों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी बैंक गारण्टी निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराते हुए निदेशालय के पत्रांक 152 दिनांक 31.08.2017 द्वारा निर्गत दिशानिर्देश, जो विभागीय पोर्टल uphorticulture.gov.in पर उपलब्ध है, में उल्लिखित निर्माता फर्मों के दायित्वों एवं उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08.03.2019 में वर्णित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तायुक्त माइक्रोइरीगेशन पद्धति की स्थापना अपने तकनीकी दिशानिर्देशन में कराना सुनिश्चित करें।

(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)
निदेशक
08/08/19